

भि. सं. 29-30/2022-स्थापना / आर.टी.आई.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,
आइ.ए.एस.आर.आई. कॉम्पस, पूसा,
नई दिल्ली-110012

दिनांक: 1 सितंबर, 2022

सेवा में,

Sh. Ashish Kumar Jha
103-105, 1st Floor, Charmwood Plaza
Charmwood Village, Surajkund, Faridabad-121009
Haryana.
Email : ashish.kumar@adgonline.in

विषय-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति-विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री0 आशीष कुमार झा, हरयाणा, से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/22/00007 दिनांक 12.08.2022 तथा पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/22/00061 दिनांक 17.08.2022)

गहोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करे जिसमें आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना निम्नवत् है :-

क्रमसं.	मॉगी गई जानकारी	जवाब
1.	Which social media handles of your organization are active?	The Department of Agriculture & Farmers Welfare are available on the social media platforms of Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Koo, Public App@AGRIGOI.
2.	Which agency/company is managing Social Media handles of the department/Ministry?	Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL) has been assigned the work of social media of the Department of Agriculture & Farmers Welfare w.e.f. 01.04.2022.
3.	How much are you paying per year for your social media?	The total expenditure of Rs. 89,01,330/- is approved for the period of one year w.e.f. 01.04.2022 to 31.03.2023 for handling the social media of the Department. Out of which, an amount of Rs. 36,74,166/- has been released to BECIL for the period from 01.04.2022 to 30.06.2022 (quarterly).
4.	What are the active contract for social media, what are their start and end dates?	The work for handling the social media of the DA&FW has been assigned to BECIL for a period of one year 2022-2023 (start w.e.f. 01.04.2022 to 31.03.2022).
5.	Which tools are used to monitor your social media for sentiment analysis and ranking?	Not Applicable.

... 2/-

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :-

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार),
विस्तार निदेशालय,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
कमरा संख्या 218, कृषि विस्तार भवन,
आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110 012,
दूरभाष:- 011-25847660 व ई-मेल पता:-shailesh.mishra29@gov.in


(दीपा पांडे)

उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आइ.ओ.)
दूरभाष:- 011.25846467
ई-मेल:- deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इंचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.krishivistar.gov.in, पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।